UPMZ010074842026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मुजफफरनगर

उपस्थित : बीरेन्द्र कुमार सिंह, एच.जे.एस.

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2977 सन 2026

1. अब्दुल सलाम उर्फ सुक्का पुत्र इसहाक
2. जमशेद पुत्र इशाक
3. मुकर्रम पुत्र इसहाक
4. शाकिर पुत्र इस्माईल

निवासीगण गाम रूडकली तालाब अली

5. गुलसनव्वर उर्फ सनव्वर पुत्र अब्दुल सलाम

निवासी ग्राम रूडकली फतेह अली थाना भोपा

जनपद मुजफफरनगर

—आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

—विपक्षी

अपराध संख्या— 271 सन 2025

धारा —191 (2), 191 (3), 115 (2),

333, 74, 351 (3)

भारतीय न्याय संहिता

थाना—भोपा

जनपद— मुजफ्फरनगर

19.06.2026

प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण उपरोक्त की ओर से थाना भोपा के अपराध संख्या— 271 सन 2025 धारा —191 (2), 191 (3), 115 (2), 333, 74, 351 (3) भारतीय न्याय संहिता के मामले में इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि, आवेदकगण/अभियुक्तगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया है बल्कि उन्हें इस मामले में रंजिश के कारण झूठा फँसाया गया है। प्राथमिकी विलंब से दर्ज करायी गयी है।

यह भी कहा गया है कि चुटैल की मैडिकल रिपोर्ट एवं प्राथमिकी की कहानी आपस में मेल नहीं खाती हैं। चुटैल को साधारण प्रकार की चोटें आना कहा गया है। यह भी कहा गया है कि वादी मुकदमा सावेज व चश्मदीद गवाहान

Digitally signed by BIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.06.19 17:39:06 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मौ. नबी, साकिब, रूबीना व शमीम तथा शैमून ने अपने नोटरी शपथ पत्र एसएसपी को दिये हैं कि अभियुक्तगण द्वारा किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं की गयी है न ही रूबीना के साथ छेडछाड की। वे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं।

अंत में कहा गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण संभ्रांत परिवार के हैं तथा उनकी समाज में प्रतिष्ठा है। वे एक स्थाई निवासी हैं तथा उनके भागने की कोई संभावना नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। मामला सात वर्ष तक के कारावास से दंडनीय व मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है तथा मामले में विवेचनोपरांत आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। इस प्रकार अग्रिम जमानत स्वीकार करने की मांग की गयी। समर्थन में शपथ पत्र तथा सावेज, रूबीना, मौ. शैमून, शमीम, मौ. साकिब, मौ. नबी की ओर से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिये गये शपथ पत्रों की प्रतियां दाखिल की गयी हैं।

2. अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक द्वारा जमानत का विरोध किया गया तथा कहा गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्व गंभीर प्रकृति के आरोप हैं। इस प्रकार अपराध को गंभीर प्रकृति का बताते हुए जमानत निरस्त करने की मांग की गयी।

3. उभयपक्षों को अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना तथा तलबीदा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

4. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के संदर्भ में निम्न तथ्य विचारणीय हैं :–

1. अभियोग की प्रकृति एवं गंभीरता,

2. प्रथम सूचना रिपोर्ट की परिस्थिति,

3. अभियुक्त का पूर्ववृत्त, जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि, क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पर पहले ही कारावास भुगत चुका है।

4. न्याय से भागने की संभाव्यता, और

5. जहां अभियुक्त को उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुँचाने या अपमानित के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो।

6. सामाजिक स्थिति/जांच में सहयोग की प्रवृत्ति।

5. प्राथमिकी के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादी मुकदमा सावेज द्वारा घ ाटना दिनांकित 22.08.2025 समय 19.00 बजे के संबंध में दिनांक 23.08.2025 को समय 3.31 बजे थाना भोपा पर प्राथमिकी इस आशय की दर्ज करायी गयी कि दिनांक 22.08.2025 को समय शाम करीब सात बजे उसके पडौसी सुक्का के प्लाट में कोई जानवर उसका चारा चर रहा था। सुक्का ने उस जानवर को वादी का समझकर उसके भाई शमीम पर हमला कर दिया। बीच बचाव में वादी और उसके अब्बू मौहम्मद नबी आये तो सुक्का ने अपने परिजन सनव्वर, जमशेद, मुकर्रम और

शाकिर के साथ मिलकर उन पर लाठी डंडो से हमला कर दिया जिससे उसके अब्बू की कमर पर गंभीर चोटें आयी। जब वे लोग अपने घरों में जान बचाने को भागे तो सभी ने हाथ में लिये लाठी डंडो और धारदार हथियार लेकर घर पर चढाई कर दी। इसका विरोध उसके भाई साकिब और भाभी रूबीना ने किया तो साकिब के साथ भी मारपीट की और रूबीना को भी मारा पीटा और उसके साथ छेडछाड की। गांव वालों के इकठठा होने पर जान से मारने की धमकी देते हुए अभियुक्तगण भाग गये।

6. इस प्रकार अभियोजन कथानक अनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्व वादी मुकदमा के घर में घुसकर लाठी डंडो व धारदार हथियारों से मारपीट कर वादी मुकदमा पक्ष के मौहम्मद नबी, साकिब, रूबीना को चोटें पहुंचाने का आारोप बताया गया है।

चुटैल मौहम्मद नबी व साकिब की चिकित्सीय परीक्षण आख्या के अनुसार मौहम्मद नबी को 1 साधारण प्रकार की चोट तथा साकिब को 2 साधारण प्रकार की चोटें आना अंकित किया गया है जबकि चुटैल रूबीना के चिकित्सीय परीक्षण के समय किसी वाहय चोट का निशान न पाया जाना कहा गया है।

तलबीदा पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अभियुक्तगण को विवेचक द्वारा दिनांक 14.09.2025 को धारा 35 (3) बीएनएसएस का नोटिस दिया गया है। अभियुक्तगण द्वारा विवेचना में असहयोग किये जाने का कोई कथन नहीं है। संबंधित थाने की आख्या के अनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण का इस मामले के अलावा अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त व युक्ति–युक्त आधार मौजूद है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण **अब्दुल सलाम उर्फ सुक्का पुत्र इसहाक, जमशेद पुत्र इशाक, मुकर्रम पुत्र इसहाक, शाकिर पुत्र इस्माईल, गुलसनव्वर उर्फ सनव्वर पुत्र अब्दुल सलाम** को अंतर्गत अपराध संख्या– 271 सन 2025 धारा –191 (2), 191 (3), 115 (2), 333, 74, 351 (3) भारतीय न्याय संहिता, थाना भोपा, जनपद मुजफफरनगर के मामले में उनके द्वारा अंकन 50,000/–50,000/–पचास–पचास हजार रूपये के दो दो विश्वसनीय प्रतिभू एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्ध पत्र संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के आधार पर प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तो के अंतर्गत अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है :–

1. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय द्वारा तलब किये जाने व नियत की गयी तिथियों पर उपस्थित होंगे तथा विचारण में सहयेाग करेंगे।

2. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्ररेणा, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे कि

उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके।

3. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

4. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण बंध पत्र की शर्तो का कठोर पालन करेंगे।

(क) ऐसे व्यक्ति इस आशय के अधीन निष्पादित बंध पत्र की शर्तो के अनुसार हाजिर होंगे।

(ख) ऐसे व्यक्ति उस अपराध जैसा, जिसको करने का उन पर अभियोग या सन्देह है, कोई अपराध नहीं करेंगे।

(ग) ऐसे व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरण नहीं करेंगे, धमकी या वचन नहीं देंगे या साक्ष्य को नहीं बिगाडेंगे।

5. आवेदकगण/अभियुक्तगण बंध पत्र दाखिल करेंगे–''अभियुक्तगण विचारण के पूर्ण होंनें के छह माह के अन्दर यदि उच्चतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किसी अपील या याचिका में न्यायालय द्वारा नोटिस जारी होता है, तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे।''

6. आवेदकगण/अभियुक्तगण विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेंगे।

7. आवेदकगण/अभियुक्तगण इस आशय का एक बंध पत्र दाखिल करेंगे कि, वे विचारण/साक्ष्य के दौरान जब भी कोई साक्षी हाजिर होगा, स्थगन नहीं लेंगे। इस शर्त की अवहेलना होने पर संबंधित न्यायालय को यह अधिकार होगा कि, संबंधित न्यायालय अभियुक्त द्वारा जमानत की स्वतंत्रता के दुरूपयोग के कारण उसके विरूद्व विधिसम्मत आदेश पारित करे।

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)

दिनांकः 19.06.2026

सत्र न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर